# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-133/2021 — दायर दिनांकः 28.09.2021

GCMS NO:- 2021/281

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हीरालाल पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी कुवे के पास वाली गली गुजरो का मोहल्ला अरनेठा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—वादी

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी अरनेठा तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. भूमिधारीजर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

**वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी एक्ट**

उपस्थितिः—

वादी

निर्णय दिनांक 29.11.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम अरनेठा पटवार हल्का आंतरदा तहसील नैनवॉ में वादी के कब्जे की भूमि खसरा संख्या 53 रकबा 1.4805 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को करीब 30 वर्ष पूर्व वादी ने भूमि के तत्कालीन खातेदारी काबिज कृषक प्रतिवादी संख्या 01 मोतीलाल से 80,000/— अक्षरे अस्सी हजार रूपये के प्रतिफल से क्रय कर मौके पर बहेसियत खातेदार कृषक प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से वादी ही उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध काबिज काश्त चला आ रहा है इसके सम्बन्ध में दिनांक 17.05.1992 को प्रतिवादी मोतीलाल ने कृषि भूमि बेचान इकरारनामा का एक लेख भी बही के सादा कागज पर वादी के हक में निस्पादित कर लेख पर प्रतिवादी मोतीलाल ने अपना अंगूठा निशानी लगाकर गवाहान की गवाही हेतु गवाह कालू व रामफूल की अंगूठा निशानी लेख पर करवा दी थी लेख रामस्वरूप जी की बकलम लिखा गया थाउक्त बेचान इकरारनामा के मुताबिक विक्रेता खातेदार मोतीलाल द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि को 10,000/— प्रति बीघा के हिसाब से कुल 91,500/— रूपये में वादी को विक्रय करने का इकरार कर प्रतिवादी मोतीलाल ने वादी से विक्रय प्रतिफल की राशि साई पेटे 80,000/— अक्षरे अस्सी हजार रूपये तत्समय ही प्राप्त कर लिये थे शेष रही राशि 11,500/—रूपये बवक्त रजिस्ट्री प्रतिवादी द्वारा वादी से प्राप्त करनी थी प्रतिवादी ने उसी समय दिनांक 17.05.1992 को ही मोके पर जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खेत पर जाकर वादी को बहेसियत खातेदार कृषक कब्जा सम्भला दिया था। प्रतिवादी मोतीलाल भूमि बेचान के छः माह बाद से ही गांव छोडकर चला गया जिसके बाद गांव वापस नहीं आया न ही कही देखा गया । प्रतिवादी मोतीलाल लापता होने के कारण प्रतिवादी मोतीलाल की सिविल डेथ की उपधारणा किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायचित है। यह कि वादी ने कई मर्तबा इकरारनामा से इन्तकाल खुलवाने के बारे में प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था परन्तु इन्तकाल वादी के नाम नहीं खोला गया। यह वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 53 रकबा 1.4805 हैक्टेयर का खातेदार कृषक वादी को घोषित करवाये तथा प्रतिवादी के नाम को विलोपित कर

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

वादी के नाम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में किया जावें। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, इकरारनामा, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में प्रतिवादी मोतीलाल लापता होने के कारण दैनिक नवज्योति कोटा समाचार पत्र में सम्मन प्रकाशित करवाया गया। उसके बाद भी प्रतिवादी मोतीलाल ने अपना जवाब पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी मोतीलाल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने वाद–पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व बयान पक्षकारान आदि का अवलोकन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम अरनेठा पटवार हल्का आंतरदा तहसील नैनवॉ में वादी के कब्जे की भूमि खसरा संख्या 53 रकबा 1.4805 हैक्टेयर भूमि पर इकरारनामा के आधार पर प्रतिवादी मोतीलाल का नाम विलोपित कर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबन्दी व नक्शा ट्रैश में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवा को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:48:21 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner